



छत्तीस
कृषि (मछली
दाऊ कल
मंत्रालय)

ग

46

क्रमांक/एफ-4-7/36/योजना/2006

रायपुर दिनांक सितंबर, 2007

—: आदेश :-

आदेश क्रमांक एफ-11/2/36/2002 /985-986 रायपुर दिनांक 24-3-2003 द्वारा प्रचलित मछली पालन नीति में राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न संशोधन प्रतिस्थापित करता है ।

बिंदु क्रमांक 1.4 :-

200 हेक्टेयर से 1000 हेक्टेयर एवं 5000 हेक्टेयर से अधिक के जलाशय (2 विभागीय जलाशय कमश:घोंघा जलाशय, बिलासपुर एवं सरोदा सागर, कबीरधाम को छोड़कर) निर्धारित समयावधि के लिए पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति/समूहों को पट्टे पर दिया जाएगा, तथा 1000 से 5000 हेक्टेयर के जलाशय छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य महासंघ को रायल्टी आधार पर प्रदाय किया जाएगा ।

बिंदु क्रमांक 2.5 :-

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस. जी. एस. वाय.) अंतर्गत निर्मित तालाबों को स्व सहायता समूह को ही पट्टे पर दिया जाएगा ।

बिंदु क्रमांक 15 :-

प्रमुख सफर मछलियों के आखेट के समान ही मिन्नीज (छुद्रमीन)(सुखान) के आखेट/विक्रय की व्यवस्था रखी जावे ।

शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

सही/

(प्रदीप कुमार दवे)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

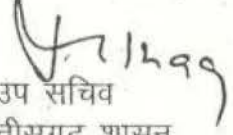
कृषि (मछली पालन) विभाग

पृ. क्रमांक/एफ-4-7/36/योजना/2006/636
प्रतिलिपि :-

रायपुर दिनांक/8 सितंबर, 2007

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर ।
2. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, रायपुर ।
3. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मछली पालन विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।

4. प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/
महिला एवं बाल विकास विभाग/ जल संसाधन/राजस्व विभाग/स्थानीय
शासन /सहकारिता विभाग/ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
5. संचालक मत्स्योद्योग, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं क्रियान्वयन के
लिए सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु ।
6. समस्त कलेक्टर, ————— (छत्तीसगढ़ शासन)
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ————— छत्तीसगढ़
शासन ।
8. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य महासंघ(मर्यादित) रायपुर को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर राजपत्र में प्रकाशनार्थ ।


 उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 कृषि (मछली पालन) विभाग